

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2015—आषाढ़ 5, शक 1937

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2015

क्र. एफ-1-5-2010-सात-शा.4 ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-पांच के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

#### “अनुसूची-पांच

“राजस्व मंडल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालयों की लिपिकवर्गीय सेवाओं से तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की योजना.

1. नाम.— इस योजना का नाम “राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालय की लिपिकवर्गीय सेवाओं से तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की योजना” है.
2. पात्रता.— राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्तों तथा कलक्टरों के कार्यालयों की लिपिकवर्गीय सेवाओं के तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग के केवल ऐसे सदस्य ही इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात् :-

(एक) जो राजस्व विभाग में किसी लिपिकवर्गीय पद पर या पटवारी/राजस्व निरीक्षक के रूप में कम से कम 5 वर्ष से स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से कार्य कर रहे हों;

(दो) जिसकी आयु उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें आवेदन किया जाता है, 45 वर्ष से अधिक न हो;

(तीन) किसी भी व्यक्ति को इस योजना के अधीन परीक्षा में तीन से अधिक बार सम्मिलित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

3. चयन—नियुक्ति के लिये चयन, —

(एक) इस योजना के अधीन आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत अंक; तथा

(दो) संबंधित कर्मचारी के गत पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन पर आधारित होगा.

4. परीक्षा—

- (1) लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा प्रतिवर्ष या ऐसे अन्तरालों पर, ऐसी तारीख तथा ऐसे स्थान पर आयोजित की जाएगी जिसे कि मण्डल (व्यापम) विनिश्चित करे;
- (2) मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और उनमें से जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे, उन्हें परीक्षा की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना दी जाएगी.
- (3) दोनों प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा कराया जाएगा.
- (4) ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों, तैयार की जाएगी.
- (5) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे जो प्रत्येक 100 अंक का तथा 2.30 घण्टे की कालावधि का होगा ।
- (6) प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा.

## प्रथम प्रश्न-पत्र

अधिकतम अंक-100

समय-2.30 घंटे

सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान (100 प्रश्न)

## द्वितीय- प्रश्न पत्र

अधिकतम अंक-100

समय-2.30 घंटे

(1) शासकीय सेवा से सम्बन्धित नियमों का ज्ञान (30 अंक).— वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान, सेवा भर्ती नियमों का सामान्य ज्ञान, शासकीय सेवा आचरण से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान (30 प्रश्न)।

(2) राजस्व शब्दावली का ज्ञान (20 अंक)— विभाग में तथा अधिकारिता में विभिन्न पद नामों का सामान्य ज्ञान, राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न संगठनों का प्रारंभिक ज्ञान (20 प्रश्न).

(3) निम्नलिखित अधिनियमों का ज्ञान (50 अंक)

(क) भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) (25 अंक)  
(25 प्रश्न)

(ख) मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960  
(15 अंक)(15 प्रश्न)

(ग) भू-अभिलेख नियमावली (भाग एक तथा दो) (10 अंक)  
(10 प्रश्न)

5. (1) उन अभ्यर्थियों के, जिनके नाम, अनुसूची-पांच के पैरा-4 के अनुसार तैयार की गयी सूची में सम्मिलित हों, उनकी विगत 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन, अनुसूची-चार के कालम (7) के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा.

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर निर्धारित 20 अंकों में से निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार अंक दिए जाएंगे :-

उत्कृष्ट	—	20 अंक
बहुत अच्छा	—	18 अंक
अच्छा	—	15 अंक
औसत	—	10 अंक

(3) अन्तिम चयन सूची, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर 100 में से दिए गए अंक तथा परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत के योग के आधार पर, तैयार की जाएगी।

(4) इस योजना के अधीन नायब तहसीलदारों के रूप में नियुक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता, योग्यता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची पर आधारित होगी।

6. **परिवीक्षा.**— इस योजना के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक कर्मचारी दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। इस कालावधि के दौरान, उसे सीधे भर्ती किए गए नायब तहसीलदारों के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा के दौरान नायब तहसीलदार के पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसे उसके मूल लिपिकवर्गीय पद पर पदावनत किया जा सकेगा:

परन्तु उसकी पदावनति के पूर्व उसके द्वारा की गई सेवा की कालावधि उसके लिपिकवर्गीय पद पर व्यतीत की गई सेवा अवधि के रूप में समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2015

क्र. एफ 1-5-2010-सात-शा.4ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-5-2010-सात-शा.4ए दिनांक 26 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> June 2015

No. F-1-5-2010-VII-S4A.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Junior Administrative Service rules (recruitment and service conditions of Service) Rules 2011, namely :—

### AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule V, the following Schedule shall be substituted, namely:-

### SCHEDULE-V

"Scheme for filling up posts of Naib-Tahsildars by limited competitive examination from amongst the Ministerial Services of the Offices of Revenue Board, Commissioner Land Records and Settlement, Principal Revenue Commissioner, Commissioner of Divisions, Collectors and Patwari/Revenue Inspectors Cadre.

1. **Title.-** This Scheme shall be called "The Scheme for filling up the post of Naib-Tahsildars by selection from amongst the Ministerial Services of the Offices of Revenue Board, Commissioner Land Records and Settlement, Principal Revenue Commissioner, Commissioners of Divisions, Collectors and Patwari/Revenue Inspectors Cadre.
2. **Eligibility.-** Only such members of the Ministerial Services of the Offices of Revenue Board, Commissioner Land Records and Settlement, Principal Revenue Commissioner, Commissioner of Divisions, Collectors and Patwari/Revenue Inspectors Cadre shall be eligible for getting the benefit of this Scheme who possesses the following qualifications, namely :-
  - (i) who have been working on any Ministerial post in the Revenue Department or as Patwari/Revenue Inspector for at least 5 years in the permanent or officiating capacity;
  - (ii) whose age on the 1<sup>st</sup> January of that year in which application is made, does not exceed 45 years;
  - (iii) no persons shall be allowed to appear for more than three times in the examination under the Scheme.
3. **Selection.-** Selection for appointment under this scheme shall be based on-
  - (i) 50 percent marks obtained in the written examination held under this Scheme;and

(ii) appraisal of Annual Confidential Reports of the employee concerned for the last five years.

4. **Examination.-** (1) A written examination shall be conducted by the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal (VYAPAM) every year or at such interval on such date or dates and such place or places as the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal (VYAPAM) decides.

(2) The Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal (VYAPAM) shall invite the applications from the candidates willing to appear in the examination and the eligible candidates shall be intimated about the date, time and place of examination.

(3) The Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal (VYAPAM) shall evaluate the answer sheets of both the question papers.

(4) A list of such candidates, who have obtained minimum 50% or more marks in each paper, shall be prepared.

(5) In the written examination, there shall be two question papers each of 100 marks and for 2.30 hours durations.

(6) Question papers shall be of objective type.

---  
Question Paper-I

Maximum Marks-100

Time-2.30 hours

General Reasoning Ability, General Knowledge, General Hindi, General English, General Mathematics, General Science and General Computer Literacy. (100 Questions).

---  
Question Paper-II

Maximum Marks-100

Time-2.30 hours

(1) **Knowledge of Government Service Rules (30 marks).-** Introductory knowledge of the rules relating to pay allowance, leave, General Provident Fund/Contributory Provident Fund, General Knowledge of rules of recruitment in service, introductory knowledge of rules relating to conduct of a Government Service (30 questions).

(2) **Knowledge of Revenue terminology (20 marks).-** General Knowledge of different designations in the department and jurisdictions, introductory knowledge of various organizations connected with Revenue Department (20 questions).

(3) **Knowledge of the following Acts (50 marks).-**

- (a) Land Revenue Code, 1959 (25 marks) (25 questions)  
 (b) Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (15 questions each of one mark)  
 (c) Bhu-Abhilekh Niyamavali (Part-I and II) (10 questions each of one mark).

---

5. (1) The appraisal of last 5 years Annual Confidential Report shall be carried out by the Departmental Promotion Committee according to column (7) of Schedule IV of those candidates whose names are reflected in the list prepared according to para 4 of Schedule V.  
 (2) Each candidate shall be given marks out of 20 on each year's Annual Confidential Report according to the following norms, namely:-
- |           |          |
|-----------|----------|
| Excellent | 20 marks |
| Very Good | 18 marks |
| Good      | 15 marks |
| Average   | 10 marks |
- (3) Final selection list shall be prepared comprising of total number of marks given out of 100 on the basis of the Annual Confidential Report and 50 percent marks obtained in the examination.  
 (4) The inter se seniority of the ministerial employees appointed as Naib-Tahsildars under this Scheme shall be based on the merit according to the selection list prepared.

**6. Probation.-** Every employee appointed under this Scheme shall be on probation for a period of two years. During this period, he shall have to undergo the training prescribed for Naib-Tahsildars recruited directly, if an employee is not found suitable for the post of Naib-Tahsildar during the probation period, he may be reverted to his original ministerial post:

Provided that the period of service so rendered by him before his reversion shall be treated as period of service spent on his ministerial post.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
 RAJENDRA SINGH, Dy. Secy.